संoसंo–14/एम10–100/2006 (खण्ड–2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

–: संकल्प :–

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को ईलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये से बढ़ाकर ₹ 4,00,000 (चार लाख) रूपये करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के निवासियों, जिनकी वार्षिक आय ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये तक है, के गंभीर रोगों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सा हेतु संबंधित संस्थान को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 द्वारा अनुदान की राशि, असाध्य/गंभीर रोगों का निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित है।

2. उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–752(14), दिनांक–26.06.2015 द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सकीय अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य के निवासियों की अधिकतम वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये) निर्धारित की गयी थी। पुनः स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 द्वारा उपर्युक्त संकल्प में संशोधन कर कतिपय अन्य रोगों को शामिल करते हुये अनुदान की राशि में वृद्धि किया गया है, परंतु चिकित्सकीय अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपया) ही है, जो 10 वर्ष से भी अधिक समय से निर्धारित है।

3. विगत इन वर्षो में महंगाई दर में निरंतर वृद्धि होने के साथ–साथ लोगों के जीवनयापन की लागत में भी तेजी से वृद्धि हुई है तथा इसके अनुरूप राज्य के निवासियों की आय स्तर में भी वृद्धि हुई है। साथ ही चिकित्सकीय खर्च भी महंगी हुई है। ऐसे में ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार/मरीज भी ईलाज में खर्च का वहन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे है, जिसे दृष्टिपथ रखते हुए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को ईलाज के लिए अनुदान हेतु निर्धारित वार्षिक आय सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवारों के मरीजों को इसका लाभ मिल सके।

4. दिनांक–19.03.2026 को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लाभुकों की निर्धारित आय सीमा में वृद्धि किये जाने हेतु राज्यस्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें वर्तमान निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये से बढाकर ₹ 4,00,000 (चार लाख) रूपये किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

1616(14)
04/6/2026

E:\Section-14\Vikash\Sanlekh\CMRF\income limit increase\Sankalp.docx 02-07-2025

5. वर्णित स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को ईलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये से बढाकर ₹ 4,00,000 (चार लाख) रूपये किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–03.06.2026 के मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

7. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/6/26

(कुमार रवि)
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–14/एम10–100/2006 (खण्ड–2) 1616(14) **/स्वा०, पटना, दिनांक–** 04/6/2026

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/उद्योग विभाग, बिहार के निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अध्यक्ष / सभी सदस्य, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–03.06.2026 के मद संख्या–12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/26

सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।